13

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3)विभाग

कमांक प.4(1)का./क–3/जॉच/05 जयपुर,दिनांक 18 NOV 2005

परिपत्र

विषयः राजसेवकों को चल,अचल एवं मूल्यवान सम्पत्ति जो बैंक अथवा किसी अन्य संस्था से ऋण प्राप्त करके सृजित की गई हो,के संबंध में सूचना प्रस्तुतिः

राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम,1971 के नियम–21 में चल, अचल तथा मूल्यवान सम्पत्तियों और उनके दायित्वों का विवरण ऋण एवं अन्य देनदारियों सहित सक्षम प्राधिकारी को यथा समय प्रस्तुत करने के प्रावधान उल्लेखित है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राज सेवकगण विभिन्न बैंक एवं अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करके चल,अचल एवं अन्य परिसम्पत्तियॉ सृजित कर रहे है लेकिन इस संदर्भ में परिसम्पत्ति और ऋण इत्यादि का विवरण परिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जो आवश्यक है।

अतः इस संदर्भ में विशिष्ट तौर पर निर्देश दिये जाते है कि राज सेवकगण बैंक एवं अन्य संस्थाओं से ऋण लेकर के चल,अचल एवं अन्य परिसम्पत्तियॉ सृजित करते है तो निम्न सूचनाऐं अपने नियंत्रण अधिकारी को शीघ्र ही ऋण प्राप्ति के बाद दी जानी होगीः

1– चल,अचल एवं अन्य परिसम्पत्ति का विवरण

2– बैंक अथवा अन्य संस्था जिससे ऋण लिया गया है, का विवरण

3– ऋण की राशि एवं भुगतान किश्तों का विवरण

उक्त सूचनाऐं राज सेवकों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी अंकित की जावेगी। यदि इन निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो राजसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत करवाएं एवं इनकी अनुपालना सुनिश्चित करें।

शासन सचिव